(386) (262)

न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल महोदय ग्वालियर, खण्डपीठ रीवा
जिला रीवा म0प्र0

R 5477-II/16

20रु. कोर्ट फी COURT FEE भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES Rs.20 | 5 रु. भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES Rs.5 | 5 रु. भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES Rs.5

R 5477-II/16

Rs 30/-

1. राममिलन यादव पिता नत्थू यादव, उम्र 65 वर्ष,
2. रामू यादव पिता राममिलन यादव, उम्र 45 वर्ष,
3. गुद्दा यादव पिता नत्थू यादव, उम्र 62 वर्ष,
4. पन्नालाल यादव पिता मोहनलाल यादव,उम्र 65 वर्ष,
5. रमेश यादव पिता राजाराम यादव, उम्र 33 वर्ष,

सभी निवासी वार्ड क्र. 07 सब्जी मण्डी के पास नागौद, तहसील नागौद, जिला सतना म0प्र0। .... पुनरीक्षणकर्तागण

बनाम

भवानी शंकर पाठक पिता मुन्ना लाल पाठक, निवासी वार्ड क्र. 07 सब्जी मण्डी के पास नागौद, तहसील नागौद, जिला सतना म0प्र0।
.... उत्तरवादी

अधिवक्ता ... द्वारा प्रस्तुत 25-10-16

क्लर्क ऑफ कोर्ट राजस्व मण्डल ग्वालियर सर्किट कोर्ट रीवा

निगरानी अन्तर्गत धारा– 50 म0प्र0भू0रा0सं0।

निगरानी विरूद्व आदेश कार्यालय राजस्व निरीक्षक मण्डल नागौद के प्रकरण कमांक 39अ12/2014–15 में पारित आदेश दिनांक 29.08.2016

मान्यवर,

प्रार्थी/पुनरीक्षणकर्तागण निम्न आधारों सहित निगरानी प्रस्तुत कर विनयी है :–

✹ प्रकरण का सारांश ✹

1. यह कि उत्तरवादी द्वारा अधीनस्थ राजस्व अधिकारी के समक्ष म0प्र0भू0रा0सं0 की धारा 129 के अन्तर्गत इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया था कि आ.नं. 127/1 रकवा 0.713 हे0 मौजा नागौद में स्थित है, जो उत्तरवादी के नाम दर्ज कागजात है, का सीमांकन किया जाय। अधीनस्थ राजस्व अधिकारी द्वारा पुनरीक्षणकर्ता गण के सरहद्दी भूमिस्वामी होने के कारण सूचना दी गई। अधीनस्थ राजस्व अधिकारी द्वारा दिनांक 12.03.2015 को सीमांकन किया गया, लेकिन उत्तरवादी स्वयं उक्त सीमांकन से सन्तुष्ट नही था। उपरोक्त सीमांकन मौके एवं राजस्व रिकार्ड की स्थिति के अनुसार नही किया गया। उत्तरवादी के सन्तुष्ट न होने के कारण सीमांकन दल गठन हेतु प्रस्ताव जिला कार्यालय सतना प्रेषित किया गया। जिसमें कार्यालय अधीक्षक भू अभिलेख प्रबन्धन द्वारा सीमांकन सीमांकन दल से कराए जाने हेतु आदेशित किया गया! मुताविक आदेश दिनांक 09.01.16 को पुनः सूचना प्रेषित किए बिना पुनरीक्षणकर्तागणों की अनुपस्थिति में

राम मिलन

(262)

राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

प्रकरण क्रमांक R 5477 II/16 जिला सतना

रामभिलाष यादव विरूद्ध म.प्र.शासन

1	2	3
17-1-19	1. आवेदक की ओर से श्री एम.बी. यादव अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी राजस्व निरीक्षक, वृत्त नागौद तहसील नागौद के प्रकरण क्रमांक 39/अ12/14-15 में पारित आदेश दिनांक 29-8-2016 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संधोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर सतना के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। उभयपक्ष दिनांक 28-03-19 को कलेक्टर सतना के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हो। सदस्य	

गया। उत्तरवादी के सन्तुष्ट न होने के कारण सीमांकन दल गठन हेतु प्रस्ताव जिला कार्यालय सतना प्रेषित किया गया। जिसमें कार्यालय अधीक्षक भू अभिलेख प्रबन्धन द्वारा सीमांकन सीमांकन दल से कराए